

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 23-7-2014


:- आदेश :-

श्री माधू सिंह राव, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना(ग्रुप-5)विभाग को जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 13/2012 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2020 है, के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1)साप्र/2/2013 दिनांक 2.4.2013 द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या 11/12, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 11/11, गांधीनगर, जयपुर का (रिक्त होने के प्रत्याशा) में नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन आवास रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(1)(a) के अनुसरण में 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन आदेश की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

पीटीओ.....

✓ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयोजना विभाग ।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, जयपुर ।
4. शासन संयुक्त सचिव कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
6. मुख्य अभियन्ता(भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-3)विभाग-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें ।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें ।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक(गो)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय / जयपुर शहर, जयपुर ।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर ।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें ।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
14. श्री माधू सिंह राव, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना(ग्रुप-5)विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आवंटित आवास संख्या 11/11, गांधीनगर को कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास संख्या 11/12, गांधीनगर शीघ्र रिक्त करावें ।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सचिव, साप्रवि ।
16. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग ।
17. मैनेजर, सर्किट हाउस, जयपुर/प्रबंधक, ट्रांजिस्ट हॉस्टेल, गांधीनगर, जयपुर ।
18. रक्षित पत्रावली ।

मुन्ना लाल शर्मा 22/7/14
शासन सहायक सचिव